सं0–2147 / 52–3–2013–14(72)95 टी0सी0

प्रेषक,

जय प्रकाश पाण्डेय
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3, लखनऊ : दिनांक 26 दिसम्बर,2013

विषयः–आई0ई0आर0टी0 इलाहाबाद संस्थान के अल्पसंख्यक छात्रों के साथ हो रहे भेद–भाव के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–2929 / अ0स0क0नि0 / दश0मो0–आवे0 / 2013, दिनांक 21.10.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्कप्रतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में शासनादेश सं0–1914 / 52– 3–13–14(72) / 95टी0सी0 दिनांक 13.11.2013 द्वारा निम्नांकित दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं:–

(1) शैक्षिक सत्र 2012–13 में सर्वप्रथम श्रेण–क व ख के यदि कोई औचित्य पूर्ण संस्था / मांग छूटी हुयी है तो उसे प्राथमिकता देते हुये शुल्कप्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जायेगी।

(2) श्रेणी–ग व घ के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक छात्र / छात्राओं को शासनादेश सं0–823 / 52–3–2013–14(72) / 95 टी0सी0 दिनांक 21.3.2013 के अनुसार निम्न प्रकार मेरिट निर्धारित करते हुये शुल्कप्रतिपूर्ति / छात्रवृत्ति वितरित की जानी है:–

क– सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों द्वारा संस्थाओं को इस प्रकार नोटिस जारी किये जाय कि वे नोटिस जारी होने के दो सप्ताह में जनपद में संबंधित सभी अवशेष संस्थाओं के पात्र छात्र / छात्राओं के प्राप्तांक / मेरिट उपलब्ध करा दें। उक्त नोटिस में यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि निर्धारित अवधि में संबंधित संस्थाओं द्वारा मेरिट के विवरण उपलब्ध नही कराये जाते है तो मेरिट के छात्र / छात्राओं को शुल्कप्रतिपूर्ति / छात्रवृत्ति प्राप्त न होने की दशा में समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी। संस्थाओं द्वारा मेरिट की सूची उपलब्ध कराये जाने के बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा उक्त मेरिट सूची एक सप्ताह के अन्दर एन0आई0सी0 की वेब साइट पर अपलोड करायी जायेगी तथा यदि संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी मेरिट सूची एक सप्ताह के अन्दर एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड नही होती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का होगा। निर्धारित अवधि के उपरान्त कोई भी मांग / प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

ख– निर्धारित अवधि में डाटा अपलोड होने के बाद शुल्कप्रतिपूर्ति / छात्रवृत्ति के लिए निम्नलिखित श्रेणियों में मेरिट निर्धारित की जायेगी :–

1. इण्टरमीडियट,
2. स्नातक,
3. परास्नातक,
4. इंजीनियरिंग,
5. मेडिकल
6. विभिन्न व्यवसायिक

उपरोक्त श्रेणियों में बनायी गयी मेरिट के आधार पर उपलब्ध बजट को अनुपातिक आधार पर निर्धारित किया जायेगा और तदनुसार शुल्क प्रतिपूर्ति / छात्रवृत्ति का भुगतान आनुपातिक आधार पर उपरोक्त श्रेणियों में निर्धारित मेरिट के अनुसार छात्र / छात्राओं को भुगतान किया जायेगा। उक्त समस्त कार्यवाही प्रत्येक दशा में दिनांक 15.12.2013 तक पूर्ण की जानी अपेक्षित थी।

3. आपके द्वारा व्यक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये तथा यह देखते हुये कि तकनीकी त्रुटि के कारण आई0टी0आर0टी0 इलाहाबाद संस्थान के डाटा प्रोसेज न हो सकने के कारण जंक डाटा में चला

गया है, शासन द्वारा प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अगर प्रकरण/संस्था श्रेणी क व ख में आती है तथा उसे अन्य के पर वरीयता मिलनी है, तो इन छात्र/छात्राओं के डाटा तत्काल प्रोसेज कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्या–2147(1)/52–3–2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
उप सचिव।

G.O. mohan